



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 54 राँची, मंगलवार,

31 जनवरी, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

16 दिसम्बर, 2022

संचिका सं०-5/ स०भू० गिरिडीह DFCCIL (स्थायी भू-हस्तांतरण)-215/2022-4436(5)/रा०--
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-01.12.2022 में मद संख्या-16 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत अंचल-सरिया, (1) मौजा-बड़की सरिया, खाता सं०-200, 201 एवं 200, प्लॉट सं०-4952, 4964, 4655, 4710, 4661, 2122 एवं 1346, रकबा-5.46 एकड़, किस्म-जंगल-झाड़ी, (2) मौजा-सरिया खुर्द, खाता सं०-01, प्लॉट सं०-54 एवं 53, रकबा-1.73 एकड़, किस्म-जंगल-झाड़ी, (3) मौजा-करम्बा, खाता सं०-27, प्लॉट सं०-509, रकबा-0.58 एकड़, किस्म-जंगल-झाड़ी, (4) मौजा-चिचाकी, खाता सं०-01, प्लॉट सं०-45, रकबा-0.18 एकड़, किस्म-जंगल-झाड़ी एवं (5) मौजा-गड़ैया, खाता सं०-102, प्लॉट सं०-97 एवं 358, रकबा-2.51 एकड़, किस्म-जंगल-झाड़ी, अर्थात् कुल रकबा-10.46 एकड़ भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-1) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में विगत

तीन वर्षों का संग्रहित दलीलों के औसत दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि के संगणित सलामी की राशि 19,22,05,776/- (उन्नीस करोड़ बाईस लाख पाँच हजार सात सौ छिहत्तर) रुपये तथा सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि 24,02,57,220/- (चौबीस करोड़ दो लाख सतावन हजार दो सौ बीस) रुपये एवं लगान का 145 प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 34,83,72,968/- (चौतीस करोड़ तिरासी लाख बहत्तर हजार नौ सौ अड़सठ) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 78,08,35,963/- (अठहत्तर करोड़ आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ तिरसठ) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक -II) की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

- i- जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं कियेजाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, गिरिडीह प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, गिरिडीह यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- iv. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- v. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- vi. अन्य सभी शर्तों राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक- 24.10.2014 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक-1**प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-**

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	कुल प्रस्तावित रकबा(ए०में)	भूमि का किस्म
1-	01/2022-23	सरिया	बड़की सरिया	200	4952	1.83	जंगल-झाड़ी
					4964	1.79	
				201	4655	0.05	
				200	4710	0.12	
					4661	1.26	
					2122	0.36	
					1346	0.05	
				ग्राम-बड़की सरिया का कुल रकबा-		5.46	
2-	02/2022-23	सरिया	सरिया खुर्द	01	54	1.65	जंगल-झाड़ी
					53	0.08	
				ग्राम-बड़की सरिया खुर्द का कुल रकबा-		1.73	
3-	03/2022-23	सरिया	करम्बा	27	509	0.58	जंगल-झाड़ी
				ग्राम-बड़की करम्बा का कुल रकबा-		0.58	
4-	04/2022-23	सरिया	चिचाकी	01	45	0.18	जंगल-झाड़ी
				ग्राम-बड़की चिचाकी का कुल रकबा-		0.18	
5-	05/2022-23	सरिया	गड़ैया	102	97	0.70	जंगल-झाड़ी
					358	1.81	
				ग्राम-बड़की गड़ैया का कुल रकबा-		2.51	
कुल रकबा-						10.46	

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-II**प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-**

क्र०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (एकड़ में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	व्यवसायिक वार्षिक लगान (सलामी का 5%)(रूपये में)	वार्षिक लीज़ रेंट का पूंजीकृत मूल्य (लगान X 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मूल्य (लगान के 145% का 25 गुणा)(रूपये में)	कुल देय राशि(रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/2022-23	बड़की सरिया	5.46	33599500	183453270	9172663.5	229316587.5	332509051.88	745278909.38
2	02/2022-23	सरिया खुर्द	1.73	1677058.41	2901311.05	145065.55	3626638.81	5258626.28	11786576.14
3	03/2022-23	करम्बा	0.58	1666666.67	966666.67	48333.33	1208333.34	1752083.34	3927083.34
4	04/2022-23	चिचाकी	0.18	1827100	328878	16443.90	411097	596091.38	1336066.38
5	05/2022-23	गड़ैया	2.51	1815000	4555650	227782.50	5694562	8257115.63	18507327.63
कुल-					192205775.72 या 192205776		240257218.65 या 240257219	348372968.51 या 348372968	780835962.87 या 780835963

अर्थात 78,08,35,963@& ¼ अठहत्तर करोड़ आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ तिरसठ ¼ रुपये मात्र ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।
